बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

**पशुपालन निदेशालय**

पटना- 800014

बिहार सरकार

पत्रांक–8 बजट (1) 02/2026 .....61 (1)/0.....आ० दिनांक– ..29/10...../2026

**प्रेषक**

श्रीकान्त शास्त्री, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

**सेवा में**

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, कोसी क्षेत्र,
सहरसा, बिहार।

**विषयः–** **वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 अधीक्षण– क्षेत्रीय स्थापना, के तहत विपत्र कोड 02–2403000010003 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 62,49,000/–(बासठ लाख उनचास हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 4921 (नि0) दिनांक 16.10.2026 के आलोक में कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, कोसी क्षेत्र, सहरसा के अधियाचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटनादेश संख्या 54(नि0) दिनांक 16.09.2026 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 62,49,000/–(बासठ लाख उनचास हजार) मात्र आवंटित किये जाते है।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं0–2 के अधीन 2403–पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00,लघु शीर्ष,001–निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष 0003– अधीक्षण–क्षेत्रीय स्थापना, विपत्र कोड – 02–2403000010003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 संख्या– 1373/2020 अवधेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 24.09.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 4921 (नि0) दिनांक 16.10.2026 के आलोक में श्री अवधेश कुमार, परिचारी को दिनांक 21.12.1996 से दिनांक 07.07.2023 तक का बकाया वेतन भुगतान करने हेतु दिया जा रहा है।

4. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक– 09.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं 380/वि0 दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd

Scanned with OKEN Scanner

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2026–27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

27/10/26

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 02/2026 प0पा0 ...61(2)... आ0/ पटना–14, दिनांक– 29/07/2026

**प्रतिलिपि** – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या – टी0 ए0– 57 – 96–97–प0पा0–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/26

निदेशक, पशुपालन।

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष 2403 पशुपालन 001 निदेशन तथा प्रशासन, 0003 अधीक्षण–क्षेत्रीय स्थापना के तहत मांग संख्या– 02 विपत्र कोड– 02–2403000010003 के अन्तर्गत आवंटन की विवरणीः–

| क्र० स० | कूट संख्या एवं मद का नाम | क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कोसी क्षेत्र, सहरसा। | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन (रू० में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 01 वेतन | 51,36,000 | 42,86,000 | 94,22,000 |
| 2 | 01 03 जीवन यापन भत्ता | 43,02,000 | 16,10,000 | 59,12,000 |
| 3 | 01 04 मकान किराया भत्ता | 4,79,500 | 2,54,000 | 7,33,500 |
| 4 | 01 05 परिवहन भत्ता | 1,47,000 | 99,000 | 2,46,000 |
| 5 | 01 06 चिकित्सा भत्ता | 1,19,800 | - | 1,19,800 |
| 7 | 01 07 अन्य भत्ता | 25,000 | - | 25,000 |
| | **योग 02–2403.00.001.0003.01– वेतन** | **1,02,09,300** | **62,49,000** | **1,64,58,300** |
| 8 | **11 01 यात्रा व्यय** | **81,600** | - | 81,600 |
| 9 | 13 01 कार्यालय व्यय | 60,000 | - | 60,000 |
| 10 | 13.02–वाहन का ईधन एवं रख–रखाव | 88,200 | - | 88,200 |
| 11 | 13 03 दूरभाष | 13,700 | - | 13,700 |
| 12 | 13 04 विद्युत प्रभार | 14,300 | - | 14,300 |
| | **योग 02–2403.00.001.0003.13– कार्यालय व्यय** | **1,76,200** | - | **1,76,200** |
| 10 | 14 01 किराया महसूल एवं कर | - | - | - |
| 11 | 20 03 प्रशिक्षण व्यय | - | - | - |
| 12 | 21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ | - | - | - |
| 13 | 52 01 मशीनें एवं उपस्कर | 82,500 | - | 82,500 |
| | **योग 02–2403.00.001.0003** | **1,05,49,600** | **62,49,000** | **1,67,98,600** |

(बासठ लाख उनचास हजार) मात्र

27/10/25

निदेशक पशुपालन।

Scanned with OKEN Scanner